राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2395/2007

श्रीमती सुशीला मोदी

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री हार्दिक गौतम

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ललित पारीक

सुश्री भावना जांगिड़

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

07/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादी द्वारा शिक्षक ग्रेड III, लेवल-II (सामाजिक अध्ययन) (सामान्य शिक्षा) के पद पर उसके चयन के बावजूद उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के कारण उत्पन्न हुई है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षक ग्रेड III, लेवल-II (कक्षा 6

से 8) के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र और योग्य होने के कारण ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के तहत इसके लिए आवेदन किया था। सभी आवेदनों की जांच करने के बाद प्रतिवादी संख्या 3 ने शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-II (सामाजिक अध्ययन) (सामान्य शिक्षा) (गैर-टीएसपी क्षेत्र) के पद के लिए श्रेणीवार कटऑफ अंकों के साथ परिणाम जारी किए और उक्त पद के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान की गईं।

2.2 इसके बाद, कुछ उम्मीदवारों द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण कुछ पद खाली रह गए। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 18.01.2021 को एक और आदेश जारी किया, जिसमें प्रतीक्षा सूची से अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के लिए जिले आवंटित किए गए। याचिकाकर्ता को सीरियल नंबर 383 पर रखा गया और उसे जिला झालावाड़ आवंटित किया गया।

2.3 बाद में, एक वैवाहिक विवाद के कारण, याचिकाकर्ता की पत्नी ने आईपीसी की धारा 406 और 498-ए के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन राजगढ़, जिला चूरू में एफआईआर संख्या 180 दिनांक 14.05.2019 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद, उपरोक्त अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, और वह वर्तमान में न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहा है।

2.4 विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, चूरू के समक्ष अपेक्षित सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया,

जिन्होंने बाद में 29.01.2021 को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया। प्रमाण पत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन राजगढ़, जिला चुरू में एफआईआर संख्या 180/2019 दर्ज की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498-ए और 406 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और मुकदमा लंबित है।

2.5 याचिकाकर्ता निर्धारित तिथि अर्थात 05.02.2021 को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। हालांकि, उसके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, उसे मौखिक रूप से इस आधार पर पदस्थापना से वंचित कर दिया गया कि उसके खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, और इसलिए, उसे उक्त पद के लिए पदस्थापना की पेशकश नहीं की जा सकती। प्रतिवादी की उपरोक्त कार्रवाइयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की।

3. जवाब में बचाव यह किया गया है कि प्रत्येक आवेदक की उम्मीदवारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्यापित की जाती है। मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए और 406 के तहत अपराधों से संबंधित है। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र में इनका उल्लेख किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता की परस्पर विरोधी दलीलें सुनी हैं, जिन्होंने अपने-अपने पक्षों की दलीलों के अनुरूप तर्क दिए हैं।

5. उठाया गया विवाद, जिस पर निर्णय की आवश्यकता है, वास्तव में एक

अन्य रिट याचिका का भी विषय था, जिसका निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 30.01.2024 के आदेश/निर्णय के माध्यम से किया गया था, जिसका शीर्षक एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 18747/2019 (पतराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) था। इसमें उल्लिखित टिप्पणियां तथा अनुपात उपयुक्त होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

> "6. याचिकाकर्ता के मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर देखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं छिपाई। अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले, उन्होंने स्वेच्छा से एफआईआर संख्या 309/2019 के अस्तित्व का खुलासा किया, जो आईपीसी की धाराओं 498-ए, 406, 323, 354 के तहत पुलिस स्टेशन अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर में पंजीकृत है, जो वैवाहिक कलह के कारण उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा, इस एफआईआर से उपजा आपराधिक मुकदमा याचिकाकर्ता के बरी होने के साथ समाप्त हो गया है।
>
> 7. याचिका को अनुमति न देने के लिए इस स्तर पर एकमात्र विरोध प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा अवतार सिंह बनाम में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना है। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य, 2016 में रिपोर्ट (8) एससीसी 471।
>
> 8. उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उम्मीदवारों को अपने नियोक्ताओं को दोषसिद्धि,

दोषमुक्ति, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामलों के बारे में सच्चाई से जानकारी देनी चाहिए, रोजगार से पहले और बाद में, बिना किसी छिपाव या झूठे बयान के। नियोक्ताओं को, झूठी सूचना के कारण सेवाओं को समाप्त करते समय या उम्मीदवारी रद्द करते समय, विशेष परिस्थितियों और प्रासंगिक सरकारी विनियमों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के बारे में जानकारी छिपाई गई है या गलत सूचना दी गई है, तो उसकी प्रकृति के आधार पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सत्यापन/सत्यापन प्रपत्रों की सटीकता और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, और छिपाए जाने या गलत सुझाव के लिए दोषी होने के लिए जिम्मेदार ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियोक्ता, निस्संदेह, प्रकट की गई जानकारी पर विचार करने में अपना विवेक बनाए रख सकते हैं और उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, भले ही सच्चाई का खुलासा किया गया हो, खासकर कई लंबित मामलों या गंभीर आपराधिक अपराधों से जुड़े मामलों में।

9. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी तरह के दमन या छिपाने का आरोप नहीं है। यहां तक कि जिस समय वह अपराध में लिप्त था, उस समय भी उसने किसी भी तरह से उन कर्तव्यों की प्रकृति को प्रभावित नहीं किया जो याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने थे। जो भी हो, वह किसी भी मामले में दोषमुक्त है और उसने खुद को निर्दोष साबित किया है।

10. जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की है, उसके परिणामस्वरूप

याचिकाकर्ता को उस पद पर नियुक्ति देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है।"

6. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त निर्णय के पैरा 8 और 9 के अंतर्गत आता है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ क्यों न दिया जाए।

7. तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उस पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, जिस पर वह चयन प्रक्रिया में सफल रहा है, उसके द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर।

8. मौद्रिक लाभों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" के सिद्धांत का पालन करते हुए, गैर-सेवा की अवधि के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। हालांकि, उसी चयन प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी काल्पनिक लाभ जैसे वरिष्ठता आदि, जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था, उसे उसी तिथि से प्रदान किए जाएंगे, जिस तिथि से उसके समकक्षों को प्रदान किए गए थे, जिनके साथ उसने सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की थी।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।